[1][नियम 44क : स्वर्ण डोरे बार की बाबत् सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क के प्रत्यय को उलटने की रीति

अग्रनीत सेनवेट प्रत्यय से सम्बन्धित धारा 140 के उपबंधों के निबंधनानुसार लिए गए इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में केन्द्रीय कर का प्रत्यय जो, सीमा–शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप–धारा (1) के अधीन उद्ग्रहीत सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क के संदाय के कारण प्रोद्भूत हुआ था, जिसका संदाय 1 जुलाई, 2017 को धारित स्वर्ण डोरे बार के स्टॉक पर या ऐसे आयातित स्वर्ण डोरे बार बनाए गए स्वर्ण या स्वर्ण आभूषण 1 जुलाई, 2017 को स्टॉक में थे, में अन्तर्विष्ट स्वर्ण डोरे बार के आयात के समय किया गया था, ऐसे प्रत्यय का एक बटा छह तक निर्बंधित किया जाएगा और ऐसे प्रत्यय का पांच बटा छह ऐसे स्वर्ण डोरे बार या स्वर्ण या उससे बनाए गए स्वर्ण आभूषण के प्रदाय के समय इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते से विकलित किया जाएगा और जहां ऐसा प्रदाय पहले से ही किया गया है, वहां ऐसा विकलन इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से एक सप्ताह के भीतर होगा।]

---

[1] अधिसूचना क्रमांक 22/2017–केन्द्रीय कर, दिनांक 17.08.2017 द्वारा नियम 44क अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 17.08.2017)।